

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1418 / 2013 / भीलवाड़ा

मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या – 1424 / 2013 / भीलवाड़ा

मैसर्स कुमावत कॉन्ट्रेक्टर, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थीगण की ओर से

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक



.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17 / 04 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 117 / वेट / 12-13 एवं 123 / वेट / 12-13 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.5.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिनमें सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये धारा 24 में पारित किये गये आदेशों दिनांक क्रमशः 29.11.2012 एवं 21.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों आंशिक प्रतिप्रेषित एवं आंशिक अस्वीकार की गई है।

2. दोनों अपीलों में विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जा रही है।



लगातार..... 2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के दौरान किये गये संविदा कार्यों से प्राप्त संविदाओं कार्यों के लिये ई.सी. (मुक्ति प्रमाण-पत्र) प्राप्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कुल सकल प्राप्तियों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. का अस्वीकार किया गया एवं अपीलार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से अधिकृत ठेकेदार द्वारा वैट-39 के जरिये वसूली गई राशि का भी समायोजन चाहा गया, जिसे भी अस्वीकार किया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	क.नि.आ.दि.	सकल प्राप्तियां	ई.सी.फीस	चाहा गया आई.टी.सी.	VAT-39 के जमा राशि
1	2	3	4	5	6
1418/2013	29.11.2012	13,67,03,089	20,50,546	32,03,002	80,880
1423/2013	21.12.2012	8,13,11,620	12,19,674	14,59,596	1,68,301


4. अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उनकी सकल प्राप्तियों में से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि कम करते हुए ई.सी. शुल्क का निर्धारण किया जावे, साथ ही निष्पादित संविदा कार्यों के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. प्रदान किया जावे एवं वैट-39 के जरिये अदा की राशि का रिफण्ड दिया जावे। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से वैट-39 के जरिये अदा की गई राशि को सत्यापन हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये तथा आई.टी.सी. व मजदूरी राशि के सम्बन्ध में अपीलें अस्वीकार की गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री एम.पी.शर्मा, कर सलाहकार ने बयान में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वैट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग कार्य होने से वैट अधिनियम में 30 प्रतिशत मजदूरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य थी। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश किया था, फिर भी हमारी अपीलें खारिज कर दी तथा इस बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने की मांग की।

लगातार..... 3

6. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 338/99 व 339/99 कर निर्धारण वर्ष 93-94 एवं 94-95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002 का उल्लेख किया गया। इसी क्रम में मीठालाल ओमप्रकाश बालोतरा के मामले में दिये गये निर्णय का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।
7. अन्य न्यायिक दृष्टान्त अरविन्द एण्ड कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर बनाम किस्तूरमल गुलाबचन्द प्रस्तुत किया।
8. मौखिक बहस के समय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 गाउंडर एण्ड कम्पनी बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य की प्रति अपने पक्ष में प्रस्तुत की।
9. अपीलार्थीगण द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन में वैट चुकाकर क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. दिये जाने का निवेदन किया। साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिकृत ठेकेदार द्वारा वैट-39 के जरिये वसूल की गई राशि का भी रिफण्ड दिये जाने का निवेदन किया।
10. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन किया। करमुक्ति का विकल्प लिया जाना एक स्वैच्छिक कृत्य है तथा करमुक्ति का विकल्प लिये जाने के बाद इस हप्त प्राप्तियों पर विहित मुक्ति शुल्क कर दर से मुक्ति शुल्क देयता बनती है। कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या के अनुसार ई.सी. समर्थित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉन्फेक्ट प्रा0 लि0, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.9.2014 का हवाला देते हुए वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन को भी अनुज्ञेय नहीं माना गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी को अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।


12. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क का राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

13. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं तालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :-

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions**, namely:-

(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

- (i) where an awardee is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awardee from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractor shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awardee before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments along with interest, if any, up to the date of filling of application under this notification;

लगातार.....

(ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

(iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted;

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

14. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से भली-भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.-1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है:

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

लगातार..... 6

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। यह निर्णय इस निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये "पण्यावर्त" के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस.टी.सी. 370 को Reproduce किया गया है। इसमें "पण्यावर्त" पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। अपीलार्थी का प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि का है। अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं होती है।

16. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2010) 29 वीं एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स में व्यवस्था दी है कि -

"Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer.**"

17. आई.टी.सी. क्लेम के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में व्यवस्था दी है कि -

"The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licensee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. **The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".**

18. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर, करमुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय का undertaking स्वीकार किया है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का

लगातार.....

भुगतान करेगा। व्यवहारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं है। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसका विरुद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (2010) 29 वी.एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि में संविदा प्राप्तियां मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित हैं। अपीलार्थी व्यवहारीगण इन प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन संविदा प्राप्तियों में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेश पूर्णतया विधिसम्मत हैं, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कल्पित जाना प्रतीत नहीं होता है।

20. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426/2012/भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉन्फेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में निम्न निर्णय दिया गया है :-

“10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 का प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकारी प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है

कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 का प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी को विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी को केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किए जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।”

21. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि का समायोजन अनुज्ञेय नहीं है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकरण का निर्धारण अधिकारी को जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं, तथा अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष कोई अपील अथवा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस पीठ के स्तर पर इस बिन्दु पर कोई निर्णय दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

22. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

23. निर्णय सुनाया गया।

आशा कुमारी
(आशा कुमारी) 17.4.15
सदस्य

मनोहर पुरी
(मनोहर पुरी)
सदस्य